

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-7 वि०शा०/मु०याँ०-02-23/2019-43/19-20 प्र० स्वी०/राँची, दिनांक:-19.02.19

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्नु राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत कांची वीयर योजना के तमाड़ शाखा नहर एवं आराडीह वीयर योजना अन्तर्गत गेटों के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 120.60 लाख (एक करोड़ बीस लाख साठ हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत कांची वीयर योजना के तमाड़ शाखा नहर एवं आराडीह वीयर योजना अन्तर्गत गेटों के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 120.60 लाख (एक करोड़ बीस लाख साठ हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

(A) कांची वीयर योजना के तमाड़ शाखा नहर अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रु० 47.145 लाख) :-

कांची वीयर योजना के प्रस्तावित कार्य के सभी चेनेज पर पूर्व से कोई गेट अधिष्ठापित नहीं है एवं प्रस्तावित कार्य जीर्णोद्धार/पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित नहीं है।

कांची वीयर योजना के तमाड़ शाखा नहर के विभिन्न चेनेज कैनाल नेटवर्क में 8 अदद नया H/R Gates एवं 4 अदद नया C/R गेट निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य तथा उक्त गेटों का Embedded Parts, Hoisting arrangement, Bottom Seal, Rubber Seal, Hoist Bridge का निर्माण कार्य, जिसकी अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.No	Component	Amount (in Rs.)
1	Cleaning of gate groove including removal of obstacle etc.	44220.48
2	Fabrication and erection of gate, embedded, hoisting platform, hoisting arrangement etc of 4 nos. C/R gates & 8 nos. H/R gates.	3904335.60
3	Dismantling of P.C.C for fixing of embedded and bottom seal of all provisioned gates.	16654.76
4	Providing P.C.C with nominal mix of (1:2:4) for 4 nos. C/R gates & 8 nos. H/R gates.	127732.18
5	Supplying, fitting and fixing of side and bottom rubber seal of all provisioned gates.	33810.00
	Total	4126753.02
	GST 12%	495210.36
	Total	4621963.38
	Labour Cess 1%	46219.63
	Contingency 1%	46219.63
	Grand Total	4714402.65
	Say	Rs. 47,14,500.00

(B) आराडीह वीयर योजना के अन्तर्गत केनाल नेटवर्क पर कराये जाने वाले कार्य (रु० 73.455 लाख) :-

आराडीह वीयर योजना के मुख्य शीर्ष में लगे गेटों का अधिष्ठापन झारखण्ड गठन के पूर्व हुई थी जिसका अंतिम बार मरम्मति वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया गया है। उक्त कार्य का अंतिम विपत्र का भुगतान हो चुका है तथा एकरारनामा बंद है।

(i) आराडीह वीयर योजना के मुख्य शीर्ष में 2 अदद U/S gates, 2 अदद H/R गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य तथा नहर के चैन सं०-1.620 कि०मी० एवं चैन सं०-2.16 कि०मी० पर दो अदद C/R गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य एवं चैन सं०-2.16 कि०मी० पर H/R गेटों उत्तोलन प्रणाली का मरम्मति कार्य। उक्त गेटों का Embedded Parts, Hoisting arrangement एवं Operation platform, Railing का निर्माण कार्य।

(ii) U/S गेटों एवं H/R गेटों के सम्पोषण व आपरेशन हेतु 3 (तीन) वर्षों तक प्रावधान यथा दैनिक वेतन पर गार्ड-कम-ऑपरेटर एवं उक्त गेटों के मरम्मति, ग्रीसिंग, ऑयलिंग इत्यादि का प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित कार्य निर्माण कार्य, जिसकी अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	Fabrication and erection of gate, embedded, hoisting platform etc of U/S gate.	2026651.62
2	Supplying fitting and fixing of worm gear arrangement for 63 mm dia. Spindle in U/S and H/R gate.	1109000.00
3	Fabrication ,fitting and fixing of spindle and hub of U/S gate.	93856.58
4	Extraction of old embedded and bottom seal of U/S and H/R gate by dismantling with the use of compressor.	247436.80
5	Providing P.C.C with nominal mix of (1:1:2) for fixing of embedded and bottom seal of U/S gate.	23414.73
6	Supplying fitting and fixing of side and bottom rubber seal in u/s gate.	19770.00
7	Fabrication, fitting and fixing of Roller,Roller pin etc in U/S gate.	92364.42
8	Dewatering by 5 H.P diesel pump set.	58758.90
9	Construction of coffer dam to stop flow of water.	121935.39
10	Maintenance ,Repair and operating of gate(U/S and H/R in head work) for 3 years.	549862.20
11	Supplying ,fitting and fixing of S.S counter shunk bolt and nut in U/S and H/R gate.	80640.00
12	Fabrication and erection of gate, embedded, hoisting platform etc in H/R	1104683.26
13	Fabrication fitting and fixing of spindle and hub in H/R gate.	79834.56
14	Providing P.C.C with nominal mix of (1:1:2) for fixing of embedded and bottom seal of H/R gate.	15647.25
15	Supplying fitting and fixing of side and bottom rubber seal in H/R gate.	10166.00
16	Fabrication ,fitting and fixing of Roller ,Roller pin etc.in H/R gate.	61576.30
17	Cleaning of gate groove and removing of obstacle material such as mud, bush etc in C/R.	7370.08
18	Fabrication fitting and fixing of gate, embedded ,hoisting platform, hoisting arrangement in C/R gate.	625613.40

19	Dismantling of P.C.C of embedded and bottom seal in C/R gate.	4074.56
20	Providing P.C.C with nominal mix of 1:1:2 for fixing of embedded and bottom seal in C/R.	22985.40
21	Supplying ,fitting and fixing side and bottom rubber seal in C/R .	5280.00
22	Renovation work of hoisting arrangement of H/R gate at chain no-2.160.	68942.79
	Total	6429864.23
	12% G.S.T	771583.71
	Total	7201447.94
	1% L/C	72014.48
	1% Contingency	72014.48
	Grand Total	7345476.90
	Say	Rs. 73,45,500.00

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
6. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
7. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
8. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
11. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
13. कार्य कराने वाली Agency द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन (03) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जाएगा।
14. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:-7 वि०शा०/मु०याँ०-02-23/2019-43/19-2050स्वी /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7 वि०शा०/मु०याँ०-02-23/2019-43/19-2050स्वी /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7 वि०शा०/मु०याँ०-02-23/2019-43/19-2050स्वी /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7 वि०शा०/मु०याँ०-02-23/2019-43/19-2050स्वी /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर एवं कोल्हान प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

19.9.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-7 वि०शा०/मु०याँ०-02-23/2019-43/19-2050स्वी /राँची, दिनांक:-19.09.19
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

19.9.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

